प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 22.06.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुठभेड में 01 शातिर लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा, 01 खोका कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 मोटर साइकिल एवं 3100/- रूपये नगद बरामद।

आज दिनांक 21.06.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा विजयनगर फ्लाईओवर कट चौकी क्षेत्र नया बस अड्डा पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति साई उपवन की ओर से आया जिसको रूकने का इशारा किया तो उक्त व्यक्ति द्वारा साई उपवन के कच्चे रास्ते पर मोटर साईकल से भागने का प्रयास किया गया तथा असफल होने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया । पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। अभियुक्त को घायल अवस्था में मौके से गिरफ्तार किया गया है तथा कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोका कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर एक मोटर साइकिल यामहा (दिल्ली से चोरी) तथा 3100/- रूपये नगदी बरामद की गयी। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम राहुल पुत्र लीलू कश्यप निवासी रिलांयस पैट्रोल पम्प के पास शंकर विहार गली नं0 3 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 35 वर्ष बताया । अभियुक्त पर गाजियाबाद, नोयडा एवं जीआरपी गाजियाबाद में कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राहुल पुत्र लीलू कश्यप निवासी रिलांयस पैट्रोल पम्प के पास शंकर विहार गली नं0 3 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 तंमचा 315 बोर, 01 खोका कारतूस, 01 जिंदा कारतूस, 01 मोटर साइकिल यामहा (दिल्ली से चोरी) एवं 3100/- रूपये नगदी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ।

साइबर सेल थाना विजयनगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 15000की धनराशि वापस कराई गई ।

दिनांक 22.06.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक विजय बलुनी निवास के-183B सैक्टर 9 विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 15000/- आवेदक को वापस कराया गया ।

कार्यवाही का विवरण-साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर गाजियाबाद को NCRP पॉर्टल के माध्यम से आवेदक विजय बलुनी के साथ 15 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 22.06.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 15000/- धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

थाना विजयनगर साइबर सेल

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 550 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण - दिनांक 21/22.06.25 को रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध गांजा की बिक्री करने वाला शातिर अभियुक्त जफर अली पुत्र शौकिन निवासी झुग्गी झोपडी कनावनी शराब के ठेके के पास थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल निवासी सलेमपुर थाना दातागंज जनपद बदायू उम्र करीब 22 वर्ष को ग्रीन वैल्ट रोड शमशान घाट के पास थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त जफर अली के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त जफर अली से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अभियुक्त जफर अली से बरामद गांजा को दिल्ली से सस्ते दामों में खरीदकर लाता है और गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर नशे करने वाले व्यक्तियों को अधिक दामों में बेचकर लाभ अर्जित करता है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जफर अली पुत्र शौकिन निवासी झुग्गी झोपडी कनावनी शराब के ठेके के पास थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल निवासी सलेमपुर थाना दातागंज जनपद बदायू उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध 550 ग्राम गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त जफर अली के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 8-6-25 को वादी श्री अक्षित त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी अपनी रसोई रेस्टोरेन्ट राजनगर एक्सटेंशन ने सूचना दी कि कुछ बदमाशो द्वारा समय करीब 23.30 बजे मेरे रेस्टोरेन्ट में लाठी डन्डे लेकर घुस आये, और आते ही बिल काउन्टर पर बैठे मैनेजर के साथ मारपीठ करते हुए पूरे रेस्टोरेन्ट में तोड फोड शुरु कर दी, पूरे रेस्टोरेन्ट में अफरातफरी मच गयी, उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 8-6-25 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था व आज दिनांक 22.06.2025 को उक्त मुकदमें से संबंधित अन्य तीन वांछित अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर मंगल टायर्स के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 6-6-25 को हमारे दोस्त अपनी रसोई रेस्टोरेन्ट पर खाना खाने गये थे, जहां पर खाना देर से देने को लेकर मैनेजर व रेस्टोरेन्ट मालिक के साथ विवाद हो गया था। इसी बात से खिन्न होकर हमारे दोस्तो ने इनके साथ मारपीट कर दी व हमें भी कॉल करके वहाँ बुला लिया।

अभियुक्तों का नाम व पता -

1. अभिषेक पुत्र गोपाल निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष
2. सत्यप्रकाश पुत्र राममूर्ति लाला निवासी कृष्णा नगर मेरठ रोड थाना नंदग्राम गाज़ियाबाद उम्र 36 वर्ष
3. इमरान खान पुत्र अलाउद्दीन निवासी म0न0 115 पीले क्वार्टर लोहिया नगर थाना सिहानी गेट गाज़ियाबाद उम्र 36 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त जो तांत्रिक विद्या ठगी करने वाले मय ठगी के 12 हजार रूपये नगद व चूरन वाले नोट 15 हजार रूपयों सहित गिरफ्तार।

दिनांक 21.06.25 को आवेदिका श्रीमती सन्नो पत्नी इरशाद कुरैशी निवासी म0न0-972 गली नं0-15 आश्रम रोड नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि 08 माह पूर्व मेरे पडौस के रहने वाले व्यक्ति द्वारा मुझे बहला फुसलाकर तांत्रिक विद्या से मेरी सेहत ठीक कराने व मेरे पैसो को तीन गुना कराने के नाम पर लगभग 09 लाख हडप लेने जब मुझे ज्ञात हुआ और मैने रुपये वापस मांगे तो अभि0 गण द्वारा गाली गलोच करना व जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 22-06-25 को मुखबिर की सूचना पर आश्रम रोड उत्तरांचल भवन के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण को मय ठगी के 12 हजार रूपयो व 15 हजार रूपये चूरन वाले नोट सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता –

1.मौ0 उमर पुत्र मौ0 अब्दुल्ला हाल निवासी बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास राशिद अली की कब्र के पास वाली गली मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष स्थायी पता-गाँव जहागी टोला थाना कामतौल जिला दरबंगा बिहार
2. मुम्तियाज पुत्र बस्सु निवासी बब्लू गार्डन निठौरा रोड मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष
पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किए गये अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम अनपढ लोग जो अक्सर बीमार रहते है उनको लक्ष्य बनाकर उनकी सेहत ठीक करने या उनके काम न बनने जैसी दुविधा दूर करने के झासे में फसा कर तांत्रिक विद्या द्वारा लोगो से पैसे हडपना तथा झासा देना कि उनके पैसे को तीन गुना कर देना उनकी सेहत ठीक कर देगें जैसी बातों में उलझाकर पैसा लेकर लोगो से ठगी करते हैं।
बरामदगी का विवरण –
1. 12 हजार रूपये नगद
2. 15 हजार रूपये चूरन वाले नोट
3. तंत्र क्रिया संबंधी 08 अंगूठी सफेद धातु
4. तंत्र क्रिया अन्य संबंधी सामग्री

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्तों को पनाह देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 22.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रोहित पुत्र विक्रम निवासी खुर्रमपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को ढिंढार पुलिया की ओर नहर के रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा दिनांक 18.06.2025 को रवि शर्मा की हत्या के अभियुक्तों को अपनी मोटरसाइकिल केटीएम पर बैठाकर भगा ले गया था। अभियुक्त रोहित के कब्जे से 01 केटीएम मोटरसाइकिल जो हत्या के आरोपियों को भगाने में प्रयुक्त हुई थी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि रवि शर्मा की हत्या करने के बाद मोन्टी ने मुझे बुलाया था और मैं अपनी मोटर साइकिल लेकर आया था और मोन्टी व अजय उर्फ मिनी को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया था।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
रोहित पुत्र विक्रम निवासी खुर्रमपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 28 वर्ष।
बरामदगी का विवरण-
01 केटीएम मोटर साइकिल बरामद।
आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-
अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटैज के आधार पर घर में चोरी की घटना का 24 घण्टे के अंदर सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगणो को किया गिरफ्तार जिनके कब्जे से 01 जोडी कुंडल पीली धातु, 02 घड़ी, 03 जोडी पायल सफेद धातु तथा आर्टीफिशियल 05 सैट ज्वैलरी, 01 हैंड कटर प्लास, 01 पिट्ठू बैग बरामद।

दिनांक 21.06.2025 को वादी समीर खांन S/O दबीर खांन निवासी सोमबाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद ने थाना ट्रोनिका सिटी पर सूचना अंकित करायी कि दिनांक 18/06/2025 की शाम को वह अपनी पत्नी के साथ जाफराबाद दिल्ली गया था जब वह दिनांक 19/06/25 को सुबह घर आया तो देखा की उसके घर से 1. जोडी सोने के कुन्डल, तीन जोडी पायल चाँदी की भारी वाली, 2 कडे बच्चो के चाँदी के, 1 घडी जेन्टस watch कम्पनी पीला रंग, एक घडी लेडीज Sonata कम्पनी की, 1 लेडिज सूट कढाईदार गोल्डन रंग का, 1 बेग Puma कम्पनी का 1 हेण्डपर्स लेडिज तथा गले के आल्टीफीशल सेट, तथा नगदी व अन्य सोने व चाँदी के आभूषण चोरी हो गए हैं जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 21.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर मु0अ0सं0 300/25 धारा 305(ए) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र जमील अहमद निवासी न्यू विकास स्कूल के पास दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष 2. फिरोज पुत्र जैनुल निवासी बिजली घर के पीछे दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 3. मौ0 आजाद पुत्र जमील अख्तर निवासी बिजली घर के पीछे दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को दौलतनगर के पास चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगणो ने बताया कि हम सभी आपस में दोस्त है, हम लोग घरो की रैकी करते रहते है तथा देखते रहते है कि किस घर में ताला लगा हुआ है, जैसे ही हमे मौका मिलता है हम तीनो लोग घर के अंदर घुस जाते है तथा घर के अंदर रखा हुआ सामान चुरा लेते है तथा उस समान को राह चलते लोगो को कम दाम में बेच देते है तथा जो पैसे हमें मिलते है उन्हे हम लोग आपस में बांटकर अपने शौक पूरे करते है। दिनांक 18.06.2025 को सोम बाजार में स्थित मकान में हम तीनो लोगो ने मिलकर चोरी की थी, आज हम लोग उपरोक्त चोरी के समान को बेचने के लिए बाहर जाने की फिराक में थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. इमरान पुत्र जमील अहमद निवासी न्यू विकास स्कूल के पास दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष
2. फिरोज पुत्र जैनुल निवासी बिजली घर के पीछे दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
3. मौ0 आजाद पुत्र जमील अख्तर निवासी बिजली घर के पीछे दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 जोडी कुंडल पीली धातु,
02 घड़ी लेडिस व जेन्स,
03 जोडी पायल सफेद धातु तथा आर्टीफिशियल 05 सैट ज्वैलरी,
01 पिटठू बैग चाकलेटी कलर
घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 हैंड कटर प्लास

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त इमरान उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर घर में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं, अभियुक्त मौ0 आजाद के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर घर में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त फिरोज के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर घर में चोरी का 01 अभियोग, थाना लोनी बार्डर पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व चोरी के गिरोह का सदस्य होने का 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी टीम।

साइबर सेल, थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 42,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 03.06.2025 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा वादी सुदर्शन निवासी माहालक्ष्मी टावर, सैक्टर-3 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड के अन्तर्गत ऑनलाइन पेमैन्ट के माध्यम से ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना कौशाम्बी द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी से ऑनलाइन पेमैन्ट के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 42,000/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से सुदर्शन निवासी माहालक्ष्मी टावर, सैक्टर-3 वैशाली थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ 42,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 22.06.2025 को वादी के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आज दिनांक 22.06.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान अवैध शराब के साथ अभियुक्त साजिद पुत्र हसरत निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को नीले पुल से नहर की कच्ची पटरी चौकी नाहल से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 24 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे शराब के पव्वे खरीद कर लाता हूँ और मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ तथा इससे जो रूपये मिलते हैं उन्हें अपने शौक में खर्च कर देता हूँ। मैं ये अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा था कि पकड़ा गया।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त साजिद उपरोक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी -02 व आमर्स एक्ट-02 व थाना सिहानी गेट पर आमर्स एक्ट का - 01 व धोखाखडी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण -

साजिद पुत्र हसरत निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

24 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1.135 किग्रा अवैध गांजा बरामद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.06.2025 को दौराने चैकिंग गढी कटैया कट चौकी क्षेत्र रामपार्क से अवैध गांजा 1.135 किग्रा के साथ एक अभियुक्त मोहन पाठक उर्फ बब्बू पुत्र भुवनचंद पाठक निवासी जी-4 पाँचवा पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर मु0अ0सं0-302/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं चोरी-छिपे दिल्ली से गांजा को लाकर छोटी-छोटी पालीथीन में पैक करके आसपास क्षेत्रों में राह चलते व्यक्तियों को घूम फिरकर बेच देता हूँ तथा मिले रूपयों से अपने शौक पूरे करता हूँ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

मोहन पाठक उर्फ बब्बू पुत्र भुवनचंद पाठक निवासी जी-4 पाँचवा पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कुल 1.135 किग्रा अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.04.2025 को थाना मसूरी पर सूचना मिली कि एसआर गार्डन के पास रफीकाबाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है। जो कन्नी बनाने का कारखाना है जिसमे नामित अभियुक्त तालिब पुत्र असलम निवासी लुहार वाली मस्जिद डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद ने अपने किराये के कन्नी कारखाने में मृतक अफजाल की अपने साथी के साथ मिलकर हथौडे से मारपीट की व गोली भी चलाई जिसमें अफजाल की मृत्यु हो गयी जिसके सम्बंध में थाना मसूरी पर मु0अ0स0-103/25 धारा - 103 (1) बीएनएस व 3/25 आमर्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त तालिब पुत्र असलम निवासी लुहारो वाली मस्जिद डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 22.06.2025 को उक्त घटना में प्रकाश में आया अभियुक्त हैदर पुत्र ननवा निवासी लुहारो वाली मस्जिद डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को धारा -103(1) /3/5 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त हैदर ने पूछने पर बताया कि मैं मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त तालिब के मौहल्ले में रहता हूं तथा तालिब को अच्छे से जानता हूँ। घटना से करीब 02 महीने से पहले तालिब पुत्र असलम निवासी लोहारों वाली मस्जिद डासना वार्ड न0 12 थाना वेव सिटी गाजियाबाद के रफीकाबाद कारखाने में कन्नी बनाने का काम मजदूरी पर करता था। मेरे साथ फईम, मोहसीन, समीर, भी मजदूरी का काम करते थे, घटना के दिन दिनांक 15.4.25 को फईम, मोहसीन, समीर, काम पर नहीं आये थे। सुबह को तालिब का मुझ पर फोन आया था। तो समय करीब 8 बजे सुबह मैं रफीकाबाद कारखाने पर पहुंच गया था। फिर तालिब भी वहां आ गया था। कुछ समय रहने के बाद वह बाहर चला गया था। तालिब व उसके परिजनों का अफजाल आदि के साथ आपस में पहले से ही घरेलू बटबारे को लेकर विवाद चल रहा था। तभी तालिब का चाचा अफजाल पुत्र सत्तार भी आ गया था। और मैं भी वहीं पर मौजूद था। मैं सामने हाजी की दुकान से पीने के लिए कोल्ड्रिंक लेकर आया था। फिर हम तीनो ने कोल्ड्रिंक पी उसके बाद बटवारे को लेकर आपस में बातचीत होने लगी। और तालिब व अफजाल के बीच कहासुनी व मारपीट हो गयी। तालिब का एक पैर स्वस्थ नहीं है जिस कारण वह कमजोर पड रहा था। तालिब ने चिल्लाकर कहा हैदर देख क्या कर रहा है मार इसे इस पर तालिब और मैं दोनो मिलकर अफजाल के साथ मारपीट करने लगे। और अफजाल के सिर में हम दोनो ने मिलकर हथौडे से वार किया तभी अफजाल ने अपने बचाव में मेरे दाहिने बाजू पर अपने दांतो से काफी जोर से काटा जिसका निशान आज भी मेरे बाजू पर मौजूद है। जिसके बाद तालिब ने तमंचे से अफजाल को गोली मार दी। इसके बाद हम दोनो वहां से भाग गये थे। और मेने अपने बाजू पर कटे निशान का इलाज धौलाना रोड पर डाक्टर से कराया था तथा तालिब ने मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा था कि किसी से कुछ नहीं बताना जबकि घटना मैं में भी शामिल था साहब तालिब की बातों में आकर मुझसे गलती हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

हैदर पुत्र ननवा निवासी लुहारो वाली मस्जिद डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

हैदर उपरोक्त पर थाना मसूरी में 01 अभियोग पजीकृत है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.06.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को अभियुक्त सचिन द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन कर पीडिता की तलाश की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-87/61(2)/123 बी0एन0एस की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 22.06.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त पीडिता को अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त सचिन पुत्र वलिदान निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को ग्राम शकूरपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीडिता मेरे ही गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आयी हुयी थी इसी दौरान मेरी उससे बातचीत शुरू हो गयी थी और मैं मौका पाकर उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सचिन पुत्र वलिदान निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम।